

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर

क्रमांक : एफ () फाउण्डेशन/वसंक्षेनि/2013-14/
निमित्त :-

1120

दिनांक : 06-5-13

मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0)
अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर

विषय:- रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन से सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाईट पर
डालने बाबत।

संदर्भ:- शासी निकाय की बैठक दिनांक 13.06.2012

महोदय,

विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय वनमंत्री महोदया की अध्यक्षता में शासी निकाय, रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन आयोजित बैठक दिनांक 13.06.2012 में निर्णय लिया गया था कि वन्यजीवों के लिए कल्याण/विकास के लिए दानदाताओं की जानकारी हेतु पूर्ण सूचना प्रसारित की जावे। इस क्रम में कृपया निम्न सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।

" सर्वसाधारण विशेष कर वन्यजीवों के कल्याण एवं उनके विकास में रुचि रखने वालों को सूचित किया जाता है कि रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 38(X) सपठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइड लाईन में दिये गये निर्देशों की पालना में वर्ष 2009-10 में रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन का गठन किया जा चुका है जो कि राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत है।

वन्यजीवों के कल्याण/विकास के लिए आप अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सहयोग के इच्छुक व्यक्ति/संस्था निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:-

1. सदस्य सचिव शासी निकाय,
रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान जयपुर

2. सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन
कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक(प्रथम)
बाघ परियोजना रणथम्भौर, सवाई माधोपुर
दूरभाष नं. 07462-220479

दूरभाष नं. 0141-2227225, 2227171

कृपया विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर

under Acc (T)
Upload Wildl. J
15/5/13

AP 2
20/5/13